भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *50

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन

*50. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) जल शक्ति अभियान के लिए केंद्रित कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में उक्त अभियान के तहत कितनी धनराशि संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) उक्त अभियान के तहत अब तक तमिलनाडु में चिह्नित किए गए जल संकट से ग्रस्त जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश भर में उक्त अभियान के तहत भूजल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु सहित देश भर में इस अभियान के तहत अब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘तमिलनाडु में जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *50 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। जल शक्ति अभियान, "कैच द रेन, व्हेअर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" टैगलाइन के साथ चलने वाला एक वार्षिक अभियान है जो वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और जल पुनर्भरण कार्यों पर केंद्रित है। इसमें अभिसरण के माध्यम से निधियों का लाभ हासिल होता है और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इस पहल को, देशभर में प्रत्येक वर्ष मार्च से नवंबर तक कार्यान्वित किया जाता है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, के केंद्रित कार्यकलापों में (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची तैयार करना; जिला जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) गहन वृक्षारोपण और (5) जन जागरूकता बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं। इन केंद्रित कार्यकलापों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। यह मंत्रालय, समय-समय पर जागरूकता बढ़ाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का आयोजन करता रहता है।

(ग): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत खर्च की गई निधियां केन्द्र, राज्य, स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार के घटकों, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (कॉम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि के अभिसरण के माध्यम से की जाती हैं।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-2025) के दौरान, राज्य में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 15792.24 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए 9331.49 करोड़ रुपए, पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार के लिए 1461.51 करोड़ रुपए, जल के पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के लिए 85.88 करोड़ रुपए, वाटरशेड विकास कार्यकलापों के लिए 4202.95 करोड़ रुपए और गहन वृक्षारोपण के लिए 710.38 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में अभियान के अंतर्गत जल निकायों की भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण और जल शक्ति अभियान:कैच द रेन के तहत जिला जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी के लिए 2.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। तमिलनाडु राज्य को वर्ष 2021-22 में 34 लाख रुपए, वर्ष 2022-23 में 31 लाख रुपए और वर्ष 2023-24 में 1.00 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(घ): तमिलनाडु के 42 फोकस जिलों को अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019, 2023 और 2024 में चिह्नित किया गया था जिसका विवरण अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

(ङ): भूजल स्तर में गिरावट कई कारकों जैसे अत्यधिक भूजल दोहन, वनों की कटाई, मृदा स्थिति, भू-आकृति आदि पर निर्भर करती है। भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों की विभिन्न नीतियों और योजनाओं जैसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम), भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर प्लान, मिशन अमृत सरोवर, जिला जल निकाय एटलस, जल निकायों की गणना आदि के अंतर्गत उपाए किए गए हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान कई कार्यकलापों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिसमें वर्षा जल संचयन; पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार; जल पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं; वाटरशेड विकास आदि जैसे कार्य शामिल रहते हैं जो भूजल पुनर्भरण भंडारण क्षमताओं को भी बढ़ाने में मददगार होते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के भूजल संसाधनों का आकलन-2024 के राष्ट्रीय संकलन के अनुसार तमिलनाडु में, आकलन की गई अत्यधिक दोहन वाली इकाईयों की प्रतिशतता 39.6% से घटकर 33.87% हो गयी है, आकलन की गई गंभीर इकाईयों की प्रतिशतता 6.77% से घटकर 6.4% हो गयी है, आकलन की गई अर्ध-गंभीर इकाईयों की प्रतिशतता 13.97% से बढ़कर 17.6% हो गयी है जबकि सुरक्षित इकाईयों की प्रतिशतता वर्ष 2017 की तुलना में 36.62% से बढ़कर 40.3% हो गयी है। अर्ध-गंभीर इकाईयों की प्रतिशतता में होने वाली बढ़ोत्तरी से इंगित होता है कि इकाईयां गंभीर से अर्ध-गंभीर की श्रेणी में आ रही हैं। बीते वर्षों में टैंक और तालाब जल संरक्षण प्रणाली के माध्यम से भूजल पुनर्भरण में सुधार देखा गया है। वर्ष 2017 में, पुनर्भरण की मात्रा 2.37 बिलियन घन मीटर थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 2.70 बिलियन घन मीटर हो गई थी। इस तरह समग्र रूप से होने वाली बढ़ोत्तरी जल संरक्षण पहलों की प्रभावशीलता और भूजल स्तर को बनाए रखने में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं की भूमिका को दर्शाता है।

(च): इस अभियान के अंतर्गत कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं हैं और राज्य सरकारों को जल संरक्षण के उद्देश्य से जितना संभव हो सके, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.01.2025 तक, देश भर में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत 1.66 करोड़ से अधिक जल-संबंधित कार्य किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में जल शक्ति अभियान के तहत राज्य में कुल 18.80 लाख कार्य किए गए हैं, जो प्रमुख रूप से पांच कार्यकलापों पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में 705 जल शक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत, देश भर के 619 जिलों में जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं। तमिलनाडु के सभी 38 जिलों ने भी अपनी जल संरक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'तमिलनाडु में जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *50 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	वर्ष	*जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	*पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	* पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	*वाटर शेड विकास	जल संबंधित कुल कार्य	गहन वृक्षारोपण	व्यय – जल संबंधित कार्यों और वृक्षारोपण सहित (करोड़ रु.)*
1	2019	273,256	44,497	142,740	159,354	619,847	12,35,99,566	लागू नहीं
2	2021	1,627,677	297,666	832,596	1,918,913	4,676,852	36,76,60,580	65,666
3	2022	1,228,553	267,472	874,680	1,628,726	3,999,431	78,38,36,035	23,863
4	2023	1,240,827	283,627	679,863	1,483,539	3,687,856	5,50,26,292	18,915
5	2024	1,135,280	276,923	446,917	1,788,735	3,647,855	6,32,64,896	8,137
कुल		5,505,593	1,170,185	2,976,796	6,979,267	1,66,31,841	139,33,87,369	116,581
कुल योग		1,66,31,841						
स्थापित कुल जल शक्ति केंद्र		705						
तैयार की गई कुल जिला जल संरक्षण योजनाएं		619						

*****

अनुलग्नक-।।

'तमिलनाडु में जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *50 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन – 2024 के अंतर्गत तमिलनाडु के केन्द्रित जिलों का विवरण

क्र.सं.	जेएसए: सीटीआर वर्ष	तमिलनाडु के केन्द्रित जिलों के नाम
1	2024	कोयंबटूर
2	2024	वेल्लोर
3	2024	तिरुपथुर
4	2024	मयिलादुथुरै
5	2024	सेलम
6	2024	चेन्नई
7	2024	नमक्कल
8	2024	डिंडीगुल
9	2024	पेरम्बलूर
10	2024	तंजावुर
11	2023	रामनाथपुरम
12	2023	विरुधुनगर
13	2023	पुदुकोट्टई
14	2023	धर्मपुरी
15	2023	कुड्डालोर
16	2019	चेन्नई
17	2019	कोयंबटूर
18	2019	कुड्डालोर
19	2019	धर्मपुरी
20	2019	डिंडीगुल
21	2019	एरोड
22	2019	कांचीपुरम
23	2019	करूर
24	2019	कृष्णागिरी
25	2019	मदुरै
26	2019	नागपट्टिनम
27	2019	नमक्कल
28	2019	पेरम्बलूर

29	2019	पुडुक्कोट्टई
30	2019	सेलम
31	2019	तंजावुर
32	2019	थेनि
33	2019	थूथुकुडी
34	2019	तिरुचिरापल्ली
35	2019	तिरुनेलवेली
36	2019	तिरुप्पुर
37	2019	तिरुवल्लूर
38	2019	तिरुवन्नामलाई
39	2019	तिरुवर
40	2019	वेल्लोर
41	2019	विल्लुपुरम
42	2019	विरुधुनगर

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *56

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अलमाटी बांध

***56. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने अलमाटी बांध की ऊंचाई पर आपत्ति जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका अध्ययन करने के लिए एक अंतर-राज्यीय तकनीकी दल का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर-राज्यीय जलमग्नता की समस्या से बचाव हेतु अलमाटी बांध की ऊंचाई कम करने के लिए कोई कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'अलमाटी बांध' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *56 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): अलमाटी बांध की मूल रूप से परिकल्पित ऊंचाई पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के साथ 524.256 मीटर थी। फिर भी, दिनांक 31.05.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-।। (जिसमें अलमाटी बांध शामिल है) को 519.6 मीटर के एफआरएल के साथ 173 टीएमसी जल के प्रयोग हेतु सशर्त मंजूरी प्रदान की गई थी। कर्नाटक राज्य ने अलमाटी बांध में 524.256 मीटर के एफआरएल स्तर तक जल के भंडारण हेतु रेडियल गेट्स लगाए गए जिससे उसकी ऊंचाई कम करके 519.6 मीटर कर दी गई थी, जिस पर इस समय अलमाटी बांध कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, अंतर राज्य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत गठित कृष्णा जल विवाद अधीकरण-।। (केडब्ल्यूडीटी-।।) की सुनवाई के दौरान अलमाटी बांध की ऊंचाई 519.6 मीटर से 524.256 मीटर तक बढ़ाने के बारे में जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और योजना बनाई थी, को लेकर महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य ने कृष्णा जल विवाद अधीकरण-।। के समक्ष याचना रखी गई कि अलमाटी बांध के एफआरएल में बढ़ोत्तरी के कारण, महाराष्ट्र का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश राज्य ने यह भी याचना की कि अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ने से उनके राज्य का निचला कृषि योग्य क्षेत्र आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा प्रदान नहीं किए जाने के कारण जल प्रवाह से वंचित हो जाएगा, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त अधिकरण द्वारा दोनों राज्यों की आपत्तियों को सुनने तथा, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और अलमाटी बांध और हिप्पारगी बैराज में वास्तविक अवसादन के बारे में जल विज्ञान सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर, अधिकरण द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) के अंतर्गत यह निर्णय किया कि दोनों राज्यों द्वारा जताई गई आशंका सही और वैध नहीं है। तदनुसार, उपर्युक्त अधिकरण द्वारा अलमाटी बांध का जल स्तर 524.256 मीटर एफआरएल पर रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। फिर भी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित मामलें में दिए गए स्टे ऑर्डर के कारण, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत, केडब्ल्यूडीटी-।। की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है।

केडब्ल्यूडीटी-।। द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से अब तक, केंद्र सरकार द्वारा कृष्णा बेसिन राज्यों से अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर की गई आपत्ति के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, किसी भी तकनीकी दल के गठन अथवा अलमाटी बांध की उंचाई कम करने के लिए उठाए गए किसी कदम का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

*****